अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 73 सन् 2019

महेन्द्र सिंह.....वादी
बनाम
तपेश्वर सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–
07.11.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को आवेदन दिनांक 02.08.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका गिरजा देवी द्वारा आदेश 1 नियम 10(2) के अंतर्गत एक आवेदन दिया गया हे जिसमें उसका कहना है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी फरीक 1 के खिलाफ तथा वादी एवं प्रतिवादी फरीक 2 के पक्ष में स्वत्व की घोषणा हेतु लाया है।

वादी का आगे कथन है कि वादी का अन्य अनुतोष है कि प्रतिवादी फरीक 1 के नाम का बैनामा को शुन्य घोषित कर दिया जाए एवं आवेदिका का आगे कथन है कि वादी ने अपने अर्जीदावे के कंडिका 2 एवं 3 में अपने वंशावली के संबंध में जिक्र किया है एवं कंडिका 3 में यह बयान किया है कि बिंदा कुंअर निःसंतान अपने दोनों भाइयों अम्बिका सिंह व ब्रहमदेव सिंह के साथ हैं, इजमाल के हालत में फौत कर गए। जबकि यह बात बिल्कुल गलत है एवं बिंदा कुंअर की

जायदाद हड़पने के नियत से किया गया है एवं आवेदिका स्वर्गीय बिंदा कुंअर की एकमात्र संतान है और वह अपने पिता की संपत्ति पर लगातार दखल काबिज चली आ रही है एवं उसने अपने हिस्से की जायदाद में से मौजा– सरनारायण, थाना– दरियापुर, जिला– सारण तौजी नं0– 3306, खाता नं0– 140 सर्वे नं0– 438 रकबा 2 कट्ठा 2 धुर जमीन दिनांक– 07.1.2019 को इस वाद में प्रतिवादी फरीक 1 तपेश्वर सिंह को रजिस्ट्री सुदे बैनामा द्वारा बिक्री कर उसे दखल कब्जा दिला दिया एवं वादी ने जानबूझकर आवेदिका के हक को समाप्त करने के लिए इस वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया है। जबकि उसका राईट टाइटिल वो इन्टरेस्ट इस वाद में निहित है।

अतः उसे इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अपने आवेदन के समर्थन में आवेदिका द्वारा कई दस्तावेज की फोटो प्रति दाखिल किया गया है, जिसमें अंचल पदाधिकारी, दरियापुर द्वारा प्रदत पारिवारिक सदस्यता की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति जिसमें आवेदिका का पिता का नाम बिंदा सिंह अंकित है। आवेदिका की नैहरी वंशावली एवं बिंदा सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.12. 1978 की छाया प्रति दाखिल किया गया है उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर वादी द्वारा दिनांक 04.09.2019 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि आवेदिका गिरजा देवी का आवेदन खारिज योग्य है, क्योंकि यह बिल्कुल गलत, झूठे एवं बनावटी बयानात पर आधारित है, क्योंकि वादी द्वारा जो वंशावली अपने वादपत्र के साथ दाखिल किया गया है उसमें यह स्पष्ट है कि बिंदा कुंअर निःसंतान अपने दोनों भाइयों अम्बिका सिंह व ब्रहमदेव सिंह के साथ इजमाल के हालत में रहते फौत कर गए एवं बिंदा कुंअर की कुल चल व अचल संपत्ति

उनके दोनों भाइयों को हासिल हुई और उक्त संपत्ति पर उनका पूर्ण हकियत एवं दखल कब्जा चला आया है।

वादी का आगे कथन है कि प्रतिवादी सं0 1 तपेश्वर सिंह ने जाली, फरेबी रचाकर गिरजा देवी से बिंदा कुंअर की बेटी दिखाकर तकरारी जमीन के संबंध में बैनमा करवा लिया है एवं गलत कागजातों के आधार पर गिरजा देवी को बिंदा कुंअर की बेटी साबित करना चाहते हैं एवं गिरजा देवी की उम्र 59 वर्ष बताई जा रही है, किंतु आज तक बिंदा सिंह के परिवार के वोटर लिस्ट में गिरजा देवी का नाम बिंदा सिंह के बेटी के रूप में दर्ज नहीं है और ना ही बिंदा सिंह के मकान में रहने वाले सदस्यों के रूप में ही गिरजा देवी का नाम अभी दर्ज हुआ है और इस मुकदमा के दाखिल होने के पूर्व का कोई कागजी प्रमाण गिरजा देवी के पास उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि वह बिंदा कुंअर की बेटी नहीं हैं एवं जो भी कागजात आवेदिका द्वारा दाखिल की गई है वह मुकदमे के दौरान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है वह भी वाद के दौरान ही तैयार हुआ है एवं जो राशन कार्ड की छाया प्रति दाखिल की गई है वह मौजा– सरनारायण, थाना– दरियापुर का नहीं है, बल्कि बोधा छपरा, दिघवारा का है एवं जिससे कहीं भी गिरजा देवी के पिता के रूप में बिंदा कुंअर का नाम अंकित नहीं है एवं जो शपथ पत्र की छाया प्रति दाखिल की गई है वह स्वयं गिरजा देवी द्वारा छपरा के नोटरी पब्लिक के समक्ष तहरीर किया गया है और वह भी इस मुकदमे के दौरान ही तैयार किया गया है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से भी बिंदा कुंअर की बेटी के रूप में प्रमाणित नहीं हो सकता है एवं पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गिरजा देवी के कथन के आधार पर शपथ पत्र तैयार

किया गया है एवं वह राशन कार्ड की इन्ट्री के विपरीत है, क्योंकि राशन कार्ड में गिरजा देवी को बोधा छपरा, दिघवारा में रहना दिखाया गया है एवं इसके अलावे पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.2019 को तैयार किया गया है जिसमें गिरजा देवी के पिता, बेटा, बेटी या अन्य किसी का नाम दर्ज नहीं है जिससे पता चलता है कि यह दस्तावेज जाली, फरेबी है।

अतः उपयुक्त बातों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गिरजा देवी यह सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकी है कि वह बिंदा सिंह की पुत्री है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका गिरजा देवी द्वारा दिनांक 02.08.2019 को इस आशय का आवेदन पत्र दाखिल किया गया है कि वह स्वर्गीय बिंदा सिंह की एकमात्र संतान है और वर्तमान में प्रस्तुत मुकदमे में आवश्यक पक्षकार हैं और इस आधार पर उसे वर्तमान वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाए। अपने दावे के समर्थन में गिरजा देवी द्वारा कुछ दस्तावेजों की छाया प्रति दाखिल की गई है जिसमें अंचल पदाधिकारी दरियापुर द्वारा जारी किया गया पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र है जिसमें यह अंकित है कि गिरजा देवी ग्राम– सरनारायण, थाना– दरियापुर के निवासी हैं एवं उसके पिता का नाम स्वर्गीय बिंदा सिंह है, किंतु इसके परिवारिक सदस्य के रूप में सिर्फ गिरजा देवी का नाम अंकित है और यह दस्तावेज दिनांक 22.06.2019 को अंचलाधिकारी दरियापुर द्वारा निर्गत किया गया है। इसके अलावे आवेदिका द्वारा एक राशन कार्ड दाखिल किया गया है जिसमें उसका पता– बोधा छपरा, पंचायत– रामपुर दिघवारा अंकित है एवं उसमें उसका पिता का नाम बिंदा सिंह अंकित है, किंतु

उक्त दस्तावेज के निर्गत की कोई तिथि अंकित नहीं है और ना ही निर्गत करने वाले अधिकारी के कार्यालय के मुहर ही लगी है इसके अलावे एक शपथ पत्र की छाया प्रति दाखिल की गई है जिसमें गिरजा देवी ने अपने नैहरी वंशावली को दर्शाया है और यह शपथ पत्र उसके स्वकथित बयान पर नोटरी पब्लिक छपरा द्वारा दिनांक 25.05.2019 को निर्गत किया गया है उसके अलावे मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो दिनांक 03.01. 1979 को निर्गत हुई है को दाखिल किया गया है, किंतु इस दस्तावेज में यह कहीं नहीं लिखा है कि गिरजा देवी बिंदा सिंह की पुत्री है। अतः आवेदिका द्वारा जो भी दस्तावेज अपने आवेदन के साथ दाखिल किया गया है उसे मुकदमे के दौरान ही तैयार किया गया है जिससे उक्त दस्तावेजों की विश्वासनियता पर संदेह होता है और यह स्पष्ट है यह आवेदिका अपने आवेदन के समर्थन में कोई भी ऐसा दस्तावेज न्यायालय में दाखिल करने में सक्षम नहीं रही है जो वाद दाखिल होने के पूर्व की हो और जिससे स्पष्ट हो कि गिरजा देवी ही बिंदा सिंह की संतान हैं अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदिका न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करने में विफल रही है कि वह स्वर्गीय बिंदा सिंह की संतान है अतः आवेदिका गिरजा देवी के आवेदन को खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16.11.2019

सब जज
सोनपुर सारण।